

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602817

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद) तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि,अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि (क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद	1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण		620मि(1151920620200242)	0.4170	1) -	1) 0.4170	0.00
							0.4170	

कुल गाटे : कुल क्षेत्रफल : 0.4170 हे. (अवयस्क) कुल भू-राजस्व : 0.00 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : 0.4170 हे. (हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
1) अन्य / पत्रांक 501/अमलदरामद / 10-10-2025 / पुनर्ग्रहण KAMTSINGH RAWAT / 07-11-2025	1.1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- / --- (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	620मि(1151920620200242)	1.1) 0.4170	1.1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद / . / .	620मि(1151920620200242)	1.1) 0.4170

(1) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(2) बंधक बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(3) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि-19.5.2003 के द्वारा वाद सं 315/201सरकार बनाम पूरन-मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा० नि० पाकबड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता सं. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई नूटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि /1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपड मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता सं. 240,295,370, के गाटा सं0 263मि /2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्वाई पुत्र रामसरन विश्वाई नि.वी.ए.स.41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहैसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.जॉइनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्वाई पत्नी रामराज सिंह विश्वाई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजराजसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि. विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह.ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मशः 2.60व 2.45क पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि.जॉइनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह.ले. 31.1.03
- 11) 1410फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि 2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह० व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व० भानुप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृत वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले. 31.1.04
- 13) 1410फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि गाटा सं 263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन ओर पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 14) मे गाटा सं 263मि जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ पा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व०राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए वेनामा दि. 12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सं. 1.2203/न.भू.सी./2001दि. 2.3.01के अन्तर्गत वाद सं 1.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि 8.7.94मे गाटा सं 1.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सं 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सर्वान्वित भू. धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा नि पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सं 1.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिसा दर्ज हो ह.ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं0688/134/1601/06आदेश दिनांक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि व 117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) स. गंगाराम उर्फ गजराज व कु. व. रिसन पुत्र खिमो नि०सोनकपुर का नाम तथा वादहू विक्रय पत्र ग् गंगाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव० विक्रय पत्र अमृत लाल आदि बहक के च



- तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर स्थित आराजी खातासं०३७०गाटासं०३०३दि०.२२१हे० मे से ०.२०२भाग से गूँगराम उर्फ गजराम व कुंवर सैन पुत्र खिम्मू नि०सोनकपुर का नाम खारिज करके श्रीमती केंचन तलवार पत्नी सी०एल०तलवार नि०१०२कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ००आर०के०दिनांक ३१.११.०७
- २३३ १४०९फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुस०के पत्रांक सू० ३२३३/न.भू.सी./२००१दि.१४.५.०१सू० लघु पत्रांक सू० ०८९००३३/भू.सी./९९दि.८-४-९९के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियत अधिनियम १९७६की धारा ५६(१)के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला वही पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरा०ग्राम सोनकपुर
- २४० स्थित गाटा सू० १०३८८के १२भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा १०८(२)के अन्तर्गत आदेश दि.१२.५.९८ को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले.२.७.०१
- २५१ १४१८फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुस०पत्रांक सू० ३२३५/न.भू.सी./०७दि.२९.११.०७ के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू० १९०मि १४२३.२०वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा सू० १५१६मि ११४४.७२वर्ग मी कुल २५६७.९२वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- २६० ससन भटनागर पुत्र स्व० रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वाद सू० ११४४८
- २७० में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक २९.१०.८० के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा सू०
- २७१ ८१०८रकवा १४४२२०मी०ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सू० १९०मि रकवा १४२३.२०व०मी०कुल २५६७.९२व०मी०भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक १५.१.९०को राज्य सरकारमें पक्ष में कब्जा लिया गया । अतः उक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष में दर्ज हो ००आर०के०दि०१०.३.०८
- २८१ १४१०फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.२३.१०.०८के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.३०५ ९४४धारा १५नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम १९७६ आदेश दि.१०.४.९२के अन्तर्गत सरकार
- २९० वनाम जेठू मे गाटा सं.८६६व०४४जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमशः ४८५६-४०व०मी०व०६४७.५२व०मी०अर्थात् कुल ५५०३.९२व०मी०भूमि उसकी कुल ४९०३.५२ व०मी०मे से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित २८८९.६०व०मी०भूमि होती है
- ३०१ अतः भूधारक की ८८९.६०व०मी०भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा सं.६५०से अभ्यर्पित की जायेगी तदानुसार आदेश दि.८.८.७७संशोधित समझा जाय । ००आर०के०दि०३.११.०८
- ३१३ १४१६फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारीनगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक १५८/न० भू०सी०/०८दि.३०.७.०८के अनुपालन में पत्रांक ११४/न०भू०सी०/०३दि.२८.५.०३के अन्तर्गतसीलिंग वाद सं० ११५३२ ३०१में दायर अपीलमें माननीय अपर जिलाजज षष्ठम मुरादाबाद के
- ३२१ आदेश दि.२९.३.९५के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्डकिया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालयइलाहबाद में दायर रिट याचिका सू० १६७२९०७माननीय न्यायालय के आदेश दि.१५.३.९७के द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात् निरसन अधिनियम
- ३३१ १९०९पभावी हो जान के कारण सू० सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.४.३.२००३के द्वारा उक्त वाद निरसितकिया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदानुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- ३४१ पर भूधारक श्री बालकिशोर भटनागर पुत्र स्व० श्री रामचन्द्र नि०हरथला के नाम दर्ज होग्राम का नाम/गाटा सू० १/क्षेत्रफल वर्गमी०मेक्रम सू० १.१-ग्राम मऊ गाटा सू० १५१६मि रकवा ११४४.७२वर्गमी०व० १-ग्राम सोनकपुर गाटा सू० १९०मि रकवा १४४३.८३वर्गमी०कुल २किता रकवा २५८८.५५वर्ग
- ३५१ मी० ००आर०के०दि० ३.०९
- ३६१ १४१०फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं.१८५६/२८.५.०९को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.३८५ के खसरा न.८६६ रकबा ०.४८६हे०मैलमाननी बगलिव खातों के पूर्ण भाग में से ०.८०एकड़ पर से विकेता . चन्द्रसेन पुत्र स्व०जेठू निवासी मिलक भोला सिंह तह०
- ३७१ व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर केता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह० अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ .स०भू०के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक ११.९.९०के आधार पर दर्ज कामजात हो तत्पश्चात् मृतक शेर सिंह . पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह०.
- ३८१ अमरोहा जिला जे पी नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह०व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत तशीयतनामा दिनांक २१.९.९५त०९०के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ००आर०के० ५.६.०९
- ३९१ १४१७फ आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /२००७-०८धारा २१०एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक २९.७.२००८के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.१९५पर प्रतिपक्षी गण दिनांक १.९.२००८के लिए नोटिस जारी
- ४०१ किये जाय । अतः न्यायालय द्वारा निर्णित पत्रावली अपील सं.७/८९/०७एवं अपील सं.२६/१२३उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित पत्रावली वाद सं.३५३/०३भानुप्रकाश वनाम गु.पुनिया तथा वाद सं.९७भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- ४११ पुनिया तलव की जाय । तब तक प्रतिपक्षी सं १भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह०व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण विक्रय करने से निषेध किया जाता है । ००आर०के०दि०२८.७.०९

- 75) 11/11/77 आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगरभूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/100/0सी0 08दिनांक 3.10.08के अत्रतगत शासन देश सं.513 उच्च-152(17)सी0/83दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए नये शिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई /ताम्पशुखा सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित गाटासं.879से 8943.87व0मी0गाटा सं. 873से 654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.17.2.01के द्वारा निरसन अधिनियम 1999केअनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथाइस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01केद्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा सं. 879/ 8943.87व0मी0गाटा सं.873/654.44व0मी0कु ल 9598.31व0मी0भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकित करने हेतु लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद में गाटा सं. 879/ 8947.87 व0मी0व गाटा सं.873रकबा 1059.14व0मी0का कब्जा दिनांक 22.3.79को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक 217 वीदिनांक 2.3.01के प्रस्तर-3 में अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं. 873/654.44व0मी0के स्थान पर 1059.14व0मी0राही पढा जाय । ह0आर0के 023.9.09
- 47) 14/11/77 आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न0भू0सी0/010 दिनांक 30.4.10के अत्रतगत वाद सं.2759/101सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0में धारा 10(5)के उपरान्त धारा 10(5)की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के अत्रतगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.20.2.08के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं.538/1133.16 व0मी0गाटा सं.541/654.45व0मी0भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा0लि0मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर0के0दि.5.10
- 49) 14/11/77 आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद सं. 455/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 385 के गाटा सं. 866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता चन्द्र सैन पुन स्व0जेठ नि0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे ता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास पाधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वेनामा दर्ज हो ह0आर0के016.6.10
- 51) 14/11/77 आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद वाद सं. 117/28.5.10को आदेश हुआ कि खाता सं. 385 के गाटा सं. 866/0.486 हे. लगान वमुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्र ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि0ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्रे ता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास पाधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वेनामा दर्ज हो ह0आर0के0 27.7.10
- 53) 14/11/77 आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वादसं. 77/10धारा 143ज0वि0अधि0आदेश दि.18.6.10के अत्रतगत में हिन्द निहोन प्रोटीन्स वनाम सरकार में तहसील आख्या सस्तीके आधार पर खाता सं. 30गाटा सं. 566.0.028 का 1/2भाग एंव खाता सं. 385 के गाटा सं. 538मि/0.113
- 54) 5/4/00के को अकु पिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह0आर0के 018.8.10
- 55) 14/20/77 आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.31/820/454/2011-12धारा34 L.R ACT ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद खाता सं.371 गाटा सं.263 2043.20 वर्ग मी0 भानुप्रकाश वनाम भू0भुनिया में दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद में वसीयत अपंजीकृत होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) में हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 में मौके पर आबादी / गैर कृषि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि बर्कितगत विधि लागू है, विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है । ह0आर0के...1.4.2013
- 58) 14/22/77 आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न0भू0सी0/ रिट0/2014 दिनांक 18नवम्बर 2014 के क म में, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 15789/ 2014ख खमानी वनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पशा0) में पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं.669 रकबा 2549.61वर्ग मी0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते में अंकित है, जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकित कि या जाये, शारानादेश संख्या 319जी0कदिनांक
- 60) 14.01.1980 में धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निग्रांलिखित शर्तों का रिमार्क कॉलम में अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये कि या जायेगा, 2- भूमि प्लानिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा, 3- कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा, केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कि या जा सके गा, ह0आर0के...2.12.2014
- 62) 14/23/77 आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वादसं01215135401-4307 आदेश दि.24.8.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371 के गाटासं.263/1 रकबा 0.2020हे. अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वमुजिव खतौनी पर अंकित त मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व0आमप्रकाश नि0 ग्राम दलापतपुर का नाम वतोर वारिस सं0भू0के रूप में अंकित हो । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प0क011 ख आदेश दि.12.2.1994 निरस्त कि या जाता है । ह0आर0के

650 1123फ आदेशानुसार श्रीमान जिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं० 2015/35401/413 धारा 210एल0आर0एक्ट आदेश दि 28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम श्रीमती शर्मो में खतोनी वर्ष 1420/28 के खातारं 371के खसरां 263 व रकबा 0.2020हे अर्थात् 2020/00वर्ग

651 1123फ आदेशानुसार श्रीमान जिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं० 2015/35401/5842 आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर के 07.9.15

652 1123फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं० 2014/35401/5842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खातारं 371के खसरां 873मि रकबा 0.040हे, लगान बमुजिव खतोनी के बकादार भाग में से 0.0100हे, पर से विके ता तफती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह

653 1123फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर के ता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शेलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73, आवर्तिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप में बजरिये बनाया दि. 20.02.14 के आधार पर सं०भू०के रूप में दर्ज हो । ह0आर.के 0

654 30/08/15

655 1123फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि. 08.06.16के अनुपालन में ग्राम सोनकपुर की खातारं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं. 1/2014/35401/5892 आदेश दि. 15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त

700 आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16

710 1123फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद, पत्रांक 2060/न0भू०सी०/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फे जबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं -316/1589 में धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के

721 आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है । जिसके सम्बन्ध में धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया

731 तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में, अमलदरामद कि या गया, लेकिन प्रश्नगत वाद में धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त

741 वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं 296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक

751 श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित करें, ह0आर.के ...17.6.2016

761 1123फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू०सी०/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फेजबख्श निवासी मिलक भोला सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 में धारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध में धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93 को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद में धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य में पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति में प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16

771 1123फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन में वाद सं० 436/5216 सरकार बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं० 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो ह0आरके० 30/07/16

781 1123फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू०सी०/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन में वाद सं० 1310/5214 सरकार बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं० 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम अंकित हो, ह0आरके० 30/07/16

791 1123फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं० 2219/न0भू०सी०/2016 दिनांक 12अगस्त 2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं०798मि० की उद्घरण खतोनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमें 0.3080ह0अर्थात् 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं० 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं० 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं० 190/602सरकार बनाम मुख्तार में जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 18.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं० 798 की 4564.25व0मी०भूमि सीलिंग से मुक्त है अतः ग्राम सोनकपुर के

गाटा सं० 798 की 3080 वर्ग मीटर जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो 1 के स्थान पर श्री अख्तर मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसों के नाम दर्ज हो 1 ह०आर०के०दि 12.8.16
 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं० टी 20151354014413 धारा 219 एल०आर०एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा में आदेश
 दि 28.9.16 के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015 को भी निरस्त किया गया है खतोनी वर्ष 1420फ से 1425फ
 के खाता सं० 371 के ससरा नं० 263/1 रकबई 0.2020 हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वगुजीब दर्ज हो ह०आर०के०दि 03.10.16
 81) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन में आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या
 टी 2016130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower
 court shall remain stayed ह०आर०के०दि 08-03-17
 82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न०भू०सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार
 बनाम श्री मातूब आदेश दिनांक 28-05-2016 मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ०प्र०सरकार में ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620
 रकबई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकबई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन में उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महवृध अथवा उसके
 वैध वारिसानों के नाम दर्ज हो ह०आर०के०दि 08-03-17
 83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन में जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक
 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये हैं तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम
 सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अगिलेखो में अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि
 सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191 न०भू०सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानों के नाम
 एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219 न०भू०सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो के
 स्थान पर भूधारक श्री अख्तर मटरू एवं श्री मुख्तार अथवा उनके वैध वारिसानों के नाम राजस्व अगिलेखो में अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं दिनांक 12-08-16 को
 वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष में किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है ह०आर०के०दि 24-3-17
 84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन में - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं
 टी 201813540100557 धारा 141 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के
 निस्तारण तक माक पर यथा स्थिति बनाये रहे ह०आर०के०दि 19-02-18
 85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस०बी०तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल०आर०एक्ट आदेश दिनांक 27-07-2017
 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.202 हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत
 आदेश दिनांक 24-08-16 एवं अपील न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की
 जाती है, इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो भी निरस्त किया जाता है ह०आर०के० दि 19/05/2018
 86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा०नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक
 19-11-2020 को आदेश हुआ कि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह, ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि०भोगपुर मिठौनी के नाम वतोर वारिस दर्ज हो
 ह०आर०के०दि 28-12-2020

Data Digitally Signed by: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)
 दिनांक समय स्थान: 12/02/2026 11:01:09 तहसील मुरादाबाद
 नोट: दस्तावेज़ की प्रामाणिकता निर्धारित विधियों द्वारा जांच की गयी है तथा दाखिले के दौरान दस्तावेज़ द्वारा हस्ताक्षरित
 है।

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHAVNAGAR तहसील: मुरादाबाद
 मुद्रित दिनांक एवं समय: 12/02/2026 11:01:09
 Not Applicable For Online Prints (प्रिंटेड उद्गम खतोनी का वैरीफिकेशन
<https://pbbhkhj.gov.in/Website/PZ/0067-APPN/QR-Code> Scan करेंके किया जा
 सकता है।

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192206202816

ग्राम क्रमांक : 115192 ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर, मुरादाबाद तहसील : मुरादाबाद जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00046

श्रेणी : 1.क / भूमि जो सार्वजनिक भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
खसरा नम्बर	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (यूनीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1417फ	1) अन्ना मालकान रजि० क्रमा० 21 / 03-05-2013 / दूरस्ती (राशोधन से)	620मि(1151920620200112)	0.8330	1)-	1) 0.7490	2)-	2) 0.0840	0.8330

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	
1) प्राधिकरण मुरादाबाद (शेष क्षेत्रफल 0.0000)	1) 1) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (शेष क्षेत्रफल 0.0000)	620मि(1151920620200112)	1.1	1.1) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद	620मि(1151920620200112)	1.1	
2) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (शेष क्षेत्रफल 0.0000)	2) 2) कमरुद्दीन / हमीद उर्फ छोटे / नि.हरथला		0.4165	1.2) कमरुद्दीन / हमीद उर्फ छोटे / नि.हरथला		0.4165	

भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

- 1) 1420फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.3.5.2013के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क. 23 के अत्रगत खतोनी वर्ष 1420 से 1425फे खाता स् 1.42के गाटा स् 1.636अ/0.352हे0पर त्रुटि वश खातेदार कमरूददीन का नाम दर्ज करने से छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुये पूर्व खतोनी 1414फ से 1419फ के खाता स् 1.136के आधार पर गाटा स् 1.620मि 0.833मे कमरूददीन पुत्र हमीद उर्फ छोटे नि0हरथला का नाम बतौर सहखातेदार के रूप में दर्ज हो ह0आर0के 029.5.13
- 2) 1421फ0आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 19.8.13के अनुपालन में द्वारा फार्म प.क.23.के अन्तर्गत खतोनी वर्ष 1420फ0 से 1425फ0के खाता सं.42के गाटा सं.636अ/0.352 हे0व खसरा नं.636व/0.506हे0पर त्रुटि वश मु0 अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम
- 3) छूट गया है की त्रुटि की शुद्धि करते हुए पूर्व खतोनी 1414फ0से 1419फ0के आधार पर गाटा सं.636अ/ 0.352हे0व खसरा नं.636व/0.506हे0पर उपाध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण के साथ मु0अफसरी वेवा छिददा नि0मिलक भोला सिंह का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हो 1 ह0आर0के 0दि20.8.13
- 4) 1421फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद वाद स् 1.462/14.2.14को आदेश हुआ कि खाता स् 1.42के गाटा स् 1.636अ/0.352.गाटा स् 1.636ब/ 0.506कुल 2कि ता 0.858हे लगान वमुजिव खतोनी के बकदर भाग से व खाता स् 1.40के गाटा स् 1.837/ 0.640हे.लगान वमुजिव खतोनी के बकदर भाग
- 5) से मुक्त श्रीमती अफसरी पत्नी स्व0छिददा नि0 मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद बाक ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुतवल्ली गफफार हुसेन पुत्र फहमूद हुसेन नि0मिलक
- 6) भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 13.8.2008के आधार पर संक्र मणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो ह0आर0के 026.02.14
- 7) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं.टी 20151354013037/15.7.15 को आदेश हुआ कि खाता सं.42 खसरा नं.636अ/0.352हे0व 636ब/0.506हे0 कु ल 2कि ता कु ल रकबा 0.858हे0 के बकदर भाग से विक्रेता गफफार हुसेन पुत्र फरमूद हुसेन निवासी मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर तहसील
- 8) व जिला मुरादाबाद गिनानानिय मुतवल्ली मदरसा इस्लामी मडईयो वाली मस्जिद ग्राम मिलक भोला सिंह उर्फ सोनकपुर देहात मुरादाबाद का नाम निरस्त कर उनके स्थान पर कर ता शुजाउल इस्लाम पुत्र जमीरउददीन निवासी मोहल्ला गियां सराय तरापुर तहसील व जिला समल का नाम बजरिये पंजीकृत व बैनामा दिनांक 26.5.15
- 9) के आधार पर दर्ज हो ह0आर0के 15.7.15

Data Digitally Signed by: RAMSINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)
दिनांक समय स्थान: 12/02/2026 11:03:51 तहसील: मुरादाबाद

यह आदेश कानूनी रूप से मान्य है। इसे कानून द्वारा बनाया गया है। इसे कानून द्वारा बनाया गया है। इसे कानून द्वारा बनाया गया है।

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHAVNAGAR तहसील: मुरादाबाद
मुद्रित दिनांक एवं समय: 12/02/2026 11:03:51

Not Applicable For Online Prints (परिचित उद्देश्य सचोती का वैरीफिकेशन
<https://upbhub4b.gov.in/Website/PR/जॉब/QR> कोड स्कैन करके किया जा
सकता है।)

शपथ-पत्र

समक्ष

सचिव,
रेरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश।



शपथकर्ता-पंकज वर्मा, सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

1-यह कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सहयाद्रि पॉकेट-ए, आवासीय योजना हेतु ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की भूमि आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से क्रय/समायोजन के माध्यम से प्राप्त की गयी है/की जा रही है, जिनमें से निम्नलिखित भूमि में कुछ भूमि का समायोजन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के स्तर पर एवं नामान्तरण तहसील सदर, मुरादाबाद स्तर पर अवशेष/प्रक्रियाधीन है :-

क्र०सं०	खसरा सं०	नामान्तरण हेतु अवशेष भूमि हेक्टे० में
1	620	0.0800
2	628	0.2670
3	636	0.2145
4	640	0.0738
5	641	0.3930
6	644	0.2850
7	647	0.0320
8	657	0.2000
9	683	0.1780
10	690	0.1447
11	693	0.0945
12	695	0.0230

2-यह कि बिन्दु सं०-1 के अनुसार, जिन गाटो पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम वर्तमान में, राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है (तहसील स्तर पर नामान्तरण वाद विचाराधीन होने के कारण), उन गाटो की भूमि को, ले-आउट प्लान में प्लाट्स आदि के रूप में नियोजित किया गया है, परन्तु उन प्लाट्स आदि का विक्रय, प्राधिकरण द्वारा, तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन प्लाट्स से सम्बन्धित गाटो की भूमि का, नामान्तरण, राजस्व अभिलेखों में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में न हो जाये।

3-यह कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि के उक्त गाटे, जिन पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम तहसील सदर, मुरादाबाद में वाद विचाराधीन होने के कारण अंकित नहीं हो पाया है, उन गाटो पर लगभग 10 से 12 सप्ताह की समयावधि के भीतर, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम अंकित हो जायेगा, जिसके उपरान्त उद्धरण खतौनी की नकल उपलब्ध करा दी जायेगी।

4-यह कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सहयाद्रि पॉकेट-ए, आवासीय योजना में ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित उक्त गाटो से सम्बन्धित समस्त (Non-Encumbrance Certificate) भार मुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध है।

शपथकर्ता

Solemnly affirmed before me by Shri/Smt./Krn.....
deponent who is identified by Shri/Smt./Krn.....
clerk of Shri/Smt./Krn..... Advocate
I have satisfied my self after examination the depon-
ent that he/she understood the contents of the
affidavit and the same has been read over and
explained by me. Recd Rs. as fees
Si. In

Pankaj Verma JP

शपथकर्ता

Vinod Kumar
Advocate & Notary
Distt. Moradabad
Regd. No. 10724/14
Exp. Dt. 25/11/2020